MR. DEPUTY-SPEAKER: That matter is over. Why do you want to take it up again?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I am not saying anything about expunction. What made the Home Minister to make a statement? Has the Chair directed them to do so?

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh): You please expunge the statement of the Home Minister also.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Unfortunately, both of you are ex-Ministers.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: But we are talking about the present Minister.

13.21 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Alleged Violation of Agreement by Gujarat State Government on the use of Waters of River Mahi...

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित स्टेटमेंट सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

माही नदी के जल उपयोग के बारे में राजस्थान एवं गुजरात सरकारों के दरमियान सन् 1966 में एक समझौता हुआ था, जिसके अन्तर्गत कडाणा बांध 419 फ़ीट की ऊंचाई पर बन कर तैयार हुआ और उक्त बांध से माही नदी का पानी गुजरात प्रान्त के खेड़ा जिले को सिंचित करने के लिए लिया गया था । उक्त समझौते में यह शर्त थी कि नर्मदा के बारे में न्यायाधिकरण द्वारा फ़ैसला करने के बाद खेड़ा जिला नर्मदा से सिंचित किया जाएगा और माही का पानी कडाणा नहर से गुजरात के ऊपरी इलाके में तथा राजस्थान के सब से सूखे इलाके, बाड़मेर एवं जालौर में काम आएगा ।

गुजरात में सन् 1980 में बनाई गई योजना में उक्त समझौते की अवहेलना कर के खेड़ा जिले को नर्मदा से सिंचित न कर के माही से ही सिंचित करना प्रस्तावित किया गया है । यदि गुजरात की यह योजना स्वीकृत हो जाती है, तो माही का जल राजस्थान के सूखे इलाकों में उपलब्ध नहीं हो सकेगा । इस प्रकार की कार्रवाई 1966 में दोनो राज्यों के बीच हुए समझौते के विपरीत है ।

राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र, बाड़मेर एवं जालौर जिलों को सिंचित करने के लिए माही ही कम खर्च में जल पहुंचाने का एकमात्र उपाय है । परन्तु गुजरात द्वारा समझौते को न मानने के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, उससे राजस्थान प्रान्त में, और विशेषत: बाड़मेर एवं जालौर जिलों में, घोर असंतोष है । गुजरात प्रान्त का यह कहना है कि न्यायाधिकरण ने नर्मदा में उन्हे अधिक हिस्सा नहीं दिया है, अत: वह माही के पानी का उपयोग करेगा । यह तर्क न्यायसंगत नहीं है । राजस्थान प्रान्त को भी नर्मदा में माकूल हिस्सा नहीं मिला है । राजस्थान सरकार ने जो मांग की थी, उसे उसका सिर्फ़ चौथाई हिस्सा मिला है ।

माही नदी का पानी रेगिस्तानी थार क्षेत्रों, बाड़मेर एवं जालौर में पहुंचाने के लिए ही राजस्थान सरकार ने 419 फ़ीट की ऊंचाई का कडाणा बांध बनाने की सहमति दी थी और अपने क्षेत्र का काफ़ी हिस्सा डूब में डाल कर हज़ारों आदिवासियों को उखाड़ फैंका था ।

राजस्थान और गुजरात के मुख्य मंत्रियों की बैठक इस विषय में केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में करीब एक वर्ष पहले हुई थी । गुजरात सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने

में जान-बूझ कर विलम्ब किया जा रहा है और केन्द्र सरकार भी राजस्थान सरकार को उसका हक प्राप्त करने में उचित सहयोग देने में विलम्ब कर रही है। यह प्रश्न राजस्थान प्रान्त विशेषत: थार रेगिस्तान के क्षेत्र, बाड़मेर एवं जालौर जिलों, के लिए जीवन मरण का प्रश्न है।

अत: केन्द्रीय सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि इस अविलम्बनीय प्रश्न को राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफ़ारिश के अनुसार राष्ट्रीय जल स्रोत कौंसिल, नेशनल वाटर रीसोर्सिज़ कौंसिल, में रखा जाए और प्रधान मंत्री जी विशेष दिलचस्पी ले कर जल्दी से जल्दी निर्णय करा कर राजस्थान प्रांत के रेगिस्तानी बाड़मेर एवं जालौर ज़िलों में माही नदी का पानी पहुंचा कर उक्त क्षेत्र को सिंचित कर हरा-भरा करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाएं।

(ii) NEED TO REVISE GOVERNMENT PROCUREMENT POLICY ON OPIUM.

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तोड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत अफ़ीम-उत्पादक किसानों की परेशानियों की तरफ़ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। अफ़ीम की खेती भारत में बहुत प्राचीन काल से की जाती रही है। आज भी दुनिया में अत्यधिक मात्रा में अफ़ीम भारत में पैदा होती है। यह एक महत्वपूर्ण भारतीय कृषि उत्पादन है, जिसका उपयोग जीवन रक्षक औषधियों में किया जाता है। देश की कई औषधियां बनाने वाली फ़ैक्टरीज़ की आवश्यकता पूरी करने के अतिरिक्त विश्व बाजार में भी भारतीय अफ़ीम एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इसमें मार्फ़ीन की मात्रा सब से अधिक होती है। इस लिए इसका निर्यात किया जाता है, जिससे भारत सरकार को अच्छी विदेशी मुद्रा मिलती है। आज देश में 25 लाख किसान इसकी खेती में लगे हैं। यू पी तथा मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों में कुछ मात्रा में इसकी खेती होती है, पर मुख्यता इसका उत्पादन मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में, राजस्थान में चितौड़गढ़ तथा कोटा ज़िले में, होता है। वित्त मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स विभाग इसकी क्रय-नीति तथा निर्यात नीति तय करता है। अभी हाल ही में इसके ख़रीद मूल्य की सरकारी नीति से इसके उत्पादकों को भारी नुक़सान हुआ है।

आज खेती की सब चीज़ों के मूल्य बढ़े हैं। खाद कीटनाशक दवाइयों आदि के मूल्य बढ़े हैं। आपने गेहूं तथा अन्य अनाज के सरकारी ख़रीद मूल्य को बढ़ाया है, अफ़ीम-उत्पादकों के मूल्यों को पता नहीं क्यों घटाया गया है।

अफ़ीम बड़ी नाज़ुक फ़सल है। मौसम में परिवर्तन बादल का होना, हवाएं इस पर कुप्रभाव डालती हैं। इस समय ओला-वृष्टि तथा तेज़ हवाओं से किसानों की अफ़ीम की फ़सल नष्ट हो गई है। ऐसे भी बड़ी निपुणता से वह खेती होती है। अब सरकार की नई नीति से अफ़ीम-उत्पादक किसान बहुत परेशान है। आपने ख़रीद के स्लैब बनाए हैं:-

(1) 30 कि० ग्राम प्रति-हेक्टर से कम उत्पन्न करने पर : 130 रु० प्रति कि० ग्राम

(2) 30 कि० ग्राम से अधिक पर 45 कि० ग्राम से कम पर –240 रुपये प्रति कि० ग्राम।

(3) 45 कि० ग्राम से अधिक, पर 60 कि० ग्राम से कम पर – 280 रु० प्रति कि० ग्राम

(4) 60 कि ग्राम से अधिक पर – 300 रुपये प्रति कि० ग्राम